झांसी नगर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण एवं शुद्धीकरण किये जाने हेतु सेनेटरी लैण्ड फिल एण्ड कम्पोस्टिंग साइट विकसित करने हेतु दिनांक–12.5.2010 को हुई लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

जनपद झांसी से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सेनेटरी लैण्डफिल एण्ड कम्पोस्टिंग साइट विकसित करने हेतु उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एफ 59976/सी–2/एनओसी/3416/2010 दिनांक–20.01.2010 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नियत स्थान एवं समय पर लोकसुनवाई आयोजित करने हेतु दिनांक–25.2.2010 एवं दिनांक–26.02.2010 को दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त अनुक्रम में दिनांक–26.3.2010 को पंचायत भवन, बिजौली औद्योगिक क्षेत्र के पास, बिजौली, झांसी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस.ओ. 1533 दिनांक–14.9.2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) की अध्यक्षता में दिनांक–26.3.2010 को आयोजित की गयी थी। उक्त लोकसुनवाई में उपस्थित जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित स्थल पर लैण्डफिल साइट विकसित करने से आस–पास के क्षेत्रों मे स्थित आवासीय कालोनियों को दुर्गंध एवं प्रदूषण से होने वाले संभावित कुप्रभावों के मद्देनजर विरोध किया गया था। उक्त लोकसुनवाई का कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय झांसी को प्रस्तुत किया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आमजन को होने वाले कुप्रभावों के पुनः अध्ययन एवं उसके निराकरण एवं ठोस कार्यवाही करने हेतु पुनः लोकसुनवाई दिनांक–12.5.2010 को पूर्व प्रस्तावित स्थल पर ही आयोजित करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक–12.5.2010 को लोकसुनवाई आयोजित करने के संबंध में सदस्य सचिव महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एफ 65821/सी–2/एनओसी/3416/2010 दिनांक–03.4.2010 के माध्यम निर्देश प्राप्त हुये थे। उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक–12.5.2010 को लोकसुनवाई करने से पूर्व दिनांक–06.5.2010 को दैनिक जागरण के हिन्दी संस्करण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के अंग्रेजी संस्करण में आम सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। लोकसुनवाई से पूर्व एवं लोकसुनवाई के दौरान कोई भी लिखित आपत्ति/शिकायत/सुझाव समाचार पत्रों में प्रकाशित नियत कार्यालयों में प्राप्त नहीं करायी गयी है। दिनांक–12.5.2010 को आयोजित लोकसुनवाई में निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुयेः–

1. श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्त, अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0)/अध्यक्ष।
2. श्री जे0 पी0 चौरसिया, नगर आयुक्त, झांसी।
3. श्री चुनकू राम, सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी।
4. श्री प्रभू नाथ, उप जिलाधिकारी, सदर, झांसी।
5. श्री शौकत अली, परियोजना प्रबन्धंक, सी0 एण्ड डी0एस0, जल निगम।
6. डा0 डी0 के0 सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, झांसी।
7. श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

क्रमशः 2...

8. डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0वैज्ञा0अधि0 उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
9. श्री आशुतोष चौहान, सहा0 पर्या0 अभि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी
10. सुश्री अनुपमा सिंह, परामर्शी ग्रास रूट्स रिसर्च एवं क्रिएशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली।
11. श्री रवि निगम, एड0, पर्या0 जीव एव जन्तु कल्याण संस्था, झांसी (एनजीओ)
12. श्री सुखलाल कुशवाहा, युवा विकास केन्द्र, टहरौली, झांसी, (एनजीओ)।
13. श्री राम प्रसाद यादव, स्थानीय नागरिक, बिजौली, झांसी।
14. श्री उधम सिंह यादव, स्थानीय नागरिक, बिजौली, झांसी।
15. सुनवाई में उपस्थित अन्य सदस्यों की उपस्थिति पंजिका छायाप्रति।

लोक सुनवाई में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उक्त परियोजना पर पुनः विस्तृत प्रकाश डाला गया, तथा उपस्थित जन समुदाय से परियोजना से संबंधित सुझाव/शिकायत प्रस्तुत करने हेतु एवं परियोजना के परामर्शी को जनशिकायतों के निराकरण हेतु परियोजना में प्रस्तावित योजनाओं/जनशिकायतों के निराकरण के उपायों के संबंध में अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त परियोजना के स्थापितकर्ता/परामर्शी मेसर्स ग्रास रूट्स रिसर्च एवं कियेशन्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली की ओर से उपस्थित सुश्री अनुपमा सिंह द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से परियोजना के वैज्ञानिक पहलुओं एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्डफिल साइट का विकास वैज्ञानिक/तकनीकी आधार पर किया जाना प्रस्तावित है, तथा नगरीय ठोस से लदे ट्रको/ट्रालियों के आवागमन एवं कचरे के लोडिंग/अनलोडिंग से होने वाले दुर्गन्ध के निराकरण हेतु केमिकल/इन्सेक्टीसाइड का स्प्रे किया जायेगा, जिससे दुर्गन्ध/विषाणु उत्पन्न नहीं होगें और लोगों को किसी भी तरह के दुर्गन्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लाण्ट के कचरे से खाद, बिजली, गैस आदि का निर्माण किया जायेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लाण्ट के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनायी जायेगी एवं उसके चारों ओर पॅाच मीटर चौड़ी हरितपट्टी का विकास किया जायेगा, तथा समय–सयम पर दवाओं का छिड़काव भी किया जायेगा। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उक्त लैण्डफिल साइट को बन्दकर, उस पर पार्क/आर्चर्ड विकसित किया जायेगा।

नगर आयुक्त झांसी द्वारा सरल भाषा में उक्त योजना से होने वाले लाभों के सम्बंध में अवगत कराया गया, कि उक्त योजना जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत प्राप्त धन से एक बहुउपयोगी योजना झांसी को प्राप्त हुयी है, जिससे नगर निगम क्षेत्र में स्थित घरों/आवासों इत्यादि से कूड़ा–कचरा एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से उसका पृथक्कीकरण किया जायेगा तथा बायोडिग्रेडेबल कूड़े से कम्पोस्ट खाद, ऊर्जा प्राप्त की जायेगी। अन्य नान बायोडिग्रेडेबल कूड़े को लैण्डफिल

क्रमशः 3...

साइट में डम्प किया जायेगा। जिससे किसी भी तरह के जल/वायु/दुर्गन्ध/प्रदूषण का खतरा नगण्य रहेगा। उनके द्वारा दिये गये सुझावों/विवेचना से उपस्थित जनसमुदाय संतुष्ट था।

लोकसुनवाई में उपस्थित श्री उधम सिंह यादव द्वारा पूछा गया कि उक्त कूड़े को कम्पोस्टिंग/लैण्डफिल साइट तक लाने हेतु बन्द वाहन की व्यवस्था की गयी है ? उक्त प्रश्न के संबंध में परामर्शी द्वारा अवगत करया गया कि कूड़ा बन्द गाड़ी में लाया जायेगा तथा दुर्गन्ध रोकने हेतु विभिन्न तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जायेगा, जिससे दुर्गन्ध आदि नहीं उत्पन्न नहीं होगी। श्री उधम सिंह द्वारा कूड़े के डम्पिंग से होने वाले भूगर्भ जल के प्रदूषण, पथरीली इलाके में ग्रीन बेल्ट का विकास, कूड़े का सम्यक रूप से निस्ताण एवं रिहायशी से लैण्डफिल साइट के बीच की दूरी के संबंध में प्रश्न पूछे गये। परामशी द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्डफिल साईट पर कई तरह के कड़े मिट्टी के परतों एवं एच.डी.पी.ई. लाईनिंग के साथ इस तरह निर्मित किया जायेगा कि भूगर्भ जल किसी भी रूप में प्रदूषित नहीं होगा। यदि किसी भी तरह का लीचेट उत्पन्न होता है तोउसके शुद्धीकरण हेतु व्यवस्था स्थापित की जायेगी। पथरीली जगह में देशी पौधों का रोपण किया जायेगा। परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के अनुसार रिहायशी आबादी से लैण्डफिल साईट को दूर रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु वास्तविक दूरी हेतु अवगत नहीं कराया गया है। परामशी के उक्त कथन से प्रश्नकर्ता संतुष्ट हुये। लोकुसनवाई में उपस्थित श्री राम प्रसाद यादव द्वारा बदबू से होने वाली परेशानी एवं उसके नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपायो के बारे में जानकारी चाही गयी। नगर आयुक्त एवं परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कचड़े से कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी तथा उत्पन्न गैस जो दुर्गन्धरहित है को एकत्रित किया जायेगा तथा बायोगैस के रूप में ईधन/प्रकाश उत्पन्न करने वाले लैम्प में प्रयुक्त किया जायेगा। श्री माधव सिंह यादव द्वारा निस्तारण स्थल के आस–पास मकानों को प्रशासन द्वारा ढहाये जाने के संबंध में भी प्रश्न पूछे गये। नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि बाउण्ड्री वाल के बाहर स्थित रिहायशी मकान/कालोनी को ढहाये/स्थानान्तरित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नगर आयुक्त के उक्त प्रश्न से दोनो प्रश्नकर्ता संतुष्ट थे। अन्य उपस्थित नागरिकों/जनसमुदाय द्वारा भी अपनी शिकायत/शंकायें दर्ज करायी गयी। उपस्थित नागरिकों द्वारा उठाये गये शिकायतें/शंकाओं का परामर्शी द्वारा बड़ी बेबाकी से समाधान किया गया ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत लैण्डफिल साइट विकसित करने से पूर्व एअरपोर्ट अथार्टी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः विकास

क्रमशः 4...

कर्ता को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व एअरपोर्ट अथार्टी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि एअरपोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने विषयक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली जायेगी।

सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी/अध्यक्ष (लोकसुनवाई) द्वारा भी उपस्थित जनसमुदाय को लैण्डफिल साईट के विकसित करने से संबंधित आस–पास के क्षेत्रों में सम्भावित प्रदूषण के निराकरण हेतु विकासकर्ता को परियोजना में अभिकथित प्रस्तावों के अनुरूप विकसित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। उपस्थित जनसमुदाय द्वारा परामर्शी के कथनों/उपस्थित अधिकारियों के निर्देशों से संतुष्ट थे। योजना के निर्माण में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु वचनबद्धता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त समस्त अभिकथनों/निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित सेनेटरी लैण्डफिल एवं कम्पोस्टिंग साइट का परियोजना में वर्णित उपायों के अनुसार स्थापित/विकसित किया जाता है, तो झांसी नगर निगम से जनित ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में मील का पत्थर साबित होगा, तथा कूड़े कचरे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को रोकने में मददगार साबित होगा। अतएव उक्त लोकसुनवाई के उपरोक्त कार्यवृत्त के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम 2000 के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार तत्संबंधी निर्णय लिये जाने संस्तुति की जाती है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।

14/5/10

(राम गोपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झांसी

14/5/10

(एन0 सी0 श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0),
झांसी

15/05/10

लोक सुनवाई में उपस्थित पदाधिकारी/सदस्य/ [illegible]

क्र.सं.	अधिकारी/ सदस्य/ आगंतुक का नाम व पद नाम	विभाग/ पता		हस्ताक्षर
1	श्री एन.सी. श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी	झांसी		[illegible] 17/5/10
	जे०पी० चौरसिया - नगर आयुक्त	[illegible]		
2				[illegible]
3	चुनकु राम सचिव, J.D.A.	विकास प्राधिकरण		
4	शौकत अली परियो० प्रबन्धक जल निगम	CCDS Jal Nigam Jhansi		[illegible] 17/05/2010
5	प्रभुनाथ उपजिलाधिकारी सदर-झांसी			
6	Dr. T.N. Singh A.S.O	U.P.P.C.B, Jhs		[illegible]
7				
8				
9				[illegible]
10	राम प्रकाश क्षेत्रीय अधिकारी	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी		[illegible]
11	रवि चन्द्र निरंजन नगर निगम झांसी			[illegible]
12	डा० डी० के० सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य नगर निगम		[illegible]
13	राम बहादुर [illegible] सी० एण्ड डी-एस जल निगम झांसी	सी० एण्ड डी-एस जल निगम, झांसी		
14	तिजू	बिजौली		तिजू [illegible]
15	अतुल कुमार [illegible]	बिजौली		[illegible]
16	नरेश पाल	बिजौली		राजेन्द्र रजक
17	राजेन्द्र रजक	बिजौली		[illegible]
18	माधव सिंह	बिजौली		गोपी
19	गोपी	बिजौली		[illegible]
20	Nitesh Pandey	बिजौली		[illegible]
21	Ramesh [illegible]	बिजौली		
22	दिनेश [illegible]	बिजौली		[illegible]
23	सन्त कुमार	बिजौली		
24 (1)	रामकुमार [illegible]	मैं पट बिजौली		[illegible]
25 (2)	कृपाल सिंह यादव	बिजौली		कृपाल सिंह
26	चन्द्र त्रिलोक सिंह लोधी	बिजौली		Singh
27	देवकी नन्दन	बिजौली		देवकी नन्दन
28	सुखलाल कुशवाहा	अध्यक्ष युवा विकास केन्द्र टहरौली झांसी.		[illegible]
	[illegible]	सचिव - पर्यावरण [illegible]		[illegible]

क्र. सं.	अधिकारी / सदस्य / आगंतुक का नाम व पद नाम	विभाग / पता		हस्ताक्षर
30	Mohendra Singh			
31	आदर्श गुप्ता	बिजली		[illegible]
32	लेखन लाल पावस	विद्युत		[illegible]
33	अखिलेश आर्य	विद्युत		[illegible]
34	रसीद रवी	रसीद रवी		
35	नारायण	पावर हाउस		रसीद र
36	राजवीर	पावर हाउस		नारायन
37	नारायण	बाबूलाल		[illegible]
38	[illegible]	[illegible]		mahe[illegible]
39	[illegible]			
40	[illegible]	[illegible] उ०प्र० पु० ह० प०/ 10 [illegible]		[illegible]
41	[illegible]			[illegible]
42	[illegible]			
43	रवी राम			
44	[illegible]			
45	राजेन्द्र कुमार	राजस्व		[illegible]
46	[illegible]	विद्युत		[illegible]
47	[illegible]	वनीता		[illegible]
48	[illegible]	[illegible]		[illegible]
49	मुहम्मद इजहार [illegible]	तहसील झांसी		[illegible]
50	कु सुनयना	तहसील झांसी		
51	डी० के० श्रीवास्तव N.T. Babuji	Teh.- Jhansi		[illegible]
52	एस० एम० शर्मा नायब तहसीलदार झांसी	"		[illegible]
53	के- के- गौतम नगर नियोजक	J.D.A. Jhansi		[illegible]